



2026:AHC:37059

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या-2470/2026

राम असारे यादव

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता: रामेन्द्र कुमार शुक्ला

प्रतिवादी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. श्री आर.के.शुक्ला, रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और श्री जितेंद्र प्रसाद, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता का दावा है कि वह 2012 से वन विभाग में चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय शभा शंकर दुबे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य: सिविल संख्या 109562018 और उत्तर प्रदेश राज्य. बनाम.पुट्टी लाल (2002) वॉल्यूम. 2 अपलबेक 1595 फैसले को दृष्टिगत रखते हुए, 18,000/- रुपये वह न्यूनतम वेतन माह का भुगतान चाहता है।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि रिट याचिकाकर्ताओं के दावे का निर्णय चौथे प्रतिवादी के समभागी वन अधिकारी, सामाजिक वानिकी प्राग, जौनपुर, जिला-जौनपुर द्वारा किया जाएगा।
4. न्यायालय के पार इस प्रकार की गई प्रस्तुति को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका में रिट याचिकाकर्ता को चौथे प्रतिवादी के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक व्यापक प्रतिनिधित्व प्रस्तुति करने का निर्देश देने का निर्णय लिया गया है, संभागीय वन अधिकारी, सामाजिक वानिकी प्राग, जौनपुर, जिला-जौनपुर 27.02.2026 तक इसके बाद, चौथा प्रतिवादी तीन माह की अवधि के भीतर रिट याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेगा.
5. उक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

19 फरवरी, 2026

राजेश

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”